<u>सराहनीय कार्य – 1</u>

प्रेस नोट दिनांक 29.05.2021 थाना कोतवाली झाँसी

थाना कोतवाली झाँसी पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री रोहन पी कनय के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 27.05.2021 को गुरुद्वारा के पास तलैया मोहल्ला मे घटित दुस्साहसिक घटना जिसमें अभियुक्त द्वारा सरेराह दिन दहाडे जान से मारने की नियत से एक महिला पर चाकू से हमला कर गम्भीर रुप से घायल किया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/21 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था, से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त दीपू मंगलानी पुत्र मनोहर लाल मंगलानी नि0 साहू के मकान मे किरायेदार तालपुरा थाना नवाबाद झाँसी उम्र 28 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त हुए आलाकत्ल (चाकू) सहित बकरामण्डी तिराहे थाना कोतवाली झाँसी से समय 10.00 AM पर गिरफ्तार किया गया। आलाकत्ल (चाकू) बरामद होने के सम्बन्ध मे अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता अभियुक्त</u> –

दीपू मंगलानी पुत्र मनोहर लाल मंगलानी नि0 साहू के मकान मे किरायेदार तालपुरा थाना नवाबाद झाँसी उम्र 28 वर्ष

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-</u>

बकरामण्डी तिराहे थाना कोतवाली झाँसी दिनांक 29.05.2021 समय 10.00 AM

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –</u>

1. मु0अ0सं0 239/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली झाँसी
2. मु0अ0सं0 242/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली झाँसी